

प्रो0 / प्रबन्धक,

बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट
जुनेदपट्टी बेलहाबांध फूलपुर
प्रयागराज।

विषय : बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट जुनेदपट्टी बेलहाबांध फूलपुर प्रयागराज का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित आपके आवेदन पत्र संख्या -निल दिनांक 06.06.2020 के क्रम में उक्त भवन में स्थापित जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन सिस्टम की स्थापना का निरीक्षण कराया गया तो सुसंगत मानकों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण पायी गयी, जिसका विवरण निम्नवत है :-

- 1 भवन भूतल प्रथम तल पर निर्मित है होजरील/डाउन कमर -सम्पूर्ण भवन में अपेक्षित है।
- 2 टेरिस टैंक - 5000 लीटर अपेक्षित है।
- 3 फायर पम्प - टेरिस पर 450 एल.पी.एम. फायर पम्प अपेक्षित है।
- 4 प्राथमिक अग्निशमन उपकरण फायर एक्सटिंग्यूशर भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 2190 के अनुसार ए0बी0सी0 5 किग्रा0-08 अदद सी0ओ0टू0 4.5 किग्रा0 - 5 अदद कार्यशील दशा में पाये गये।
- 5 भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाएँ सन्तोषजनक दशा में पायी गयी।
- 6 एग्जिट साईनज-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये है।
- 7 पी0ए0 सिस्टम - पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में स्थापित है।

उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन फायर आडिट प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

1. भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स सैड्यूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्राणी के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सुचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटी का निवारण किया जाये।
5. प्रत्येक 6 माह में एक बार भवन कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉकड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाय तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाय। इसकी जानकारी सुरक्षाकर्मियों को प्रदान करायी जाये।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम कार्यशील दशा में न पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(आर0एस0 मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज
मुख्य अग्निशमन विभाग
प्रयागराज